

Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (No. 18 of 2007), the State Government hereby appoints the 25th May, 2007 as the date on which the said Act shall come into force in whole of the State.

Section 2:

[No.309-126-XXII-P-2-94, dated 5th March, 1994, Published in M.P.Rajpatra (Asa.), dated 5th March, 1994, as amended by Notfn dated 20th September, 1995, Published in M.P.Rajpatra (Asa.), dated 21.9.1995, p.886; Notfn dated 29.2.1996, Published in M.P.Rajpatra (Asa.), dated 29.2.1996, p.140 and Notfn. No. F-15-37-2009-P-2-XXII, dated 13-8-2010, Pub. in M.P. Rajpatra (Asadharan), dated 13-8-2010, p. 836].- In exercise of the powers conferred by clause (xxi) of Section 2 read with sub- section (3) of Section 93 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994) and in supersession of this Department Notification Nos.1919-837-XXII-P-2-90, dated 31st July, 1990, No.2101-837-XXII-P-2-90, dated 25th August, 1990, No.2436-837-XXII-P-2-90, dated 26th September, 1990 and No.36-1270-XXII-P-2-90, dated 8th January, 1991, the State Government hereby directs that the officer or authority mentioned in column (2) of the Table below shall discharge the functions of the Prescribed Authority for the purpose of sections of the said Act mentioned in corresponding entry in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S.No.	Officer or Authority	Section
(1)	(2)	(3)
1.	Collector	13(4)(i) & (6)
2.	¹ [x x x]	
3.	Collector	17(4)
4.	Tahsildar	17(5)
5.	Tahsildar	18(2)
6.	Tahsildar	18(3)
7.	Sub-Divisional Officer (Revenue)	19
8.	Secretary, Gram Panchayat	20(1)
9.	Sub-Divisional Officer (Revenue)	21(3)
10.	Tahsildar	22(5)
11.	Sub-Divisional Officer (Revenue)	23(3)(i) & (5)
12.	² [x x x]	
13.	Sub-Divisional Officer (Revenue)	25(1)
14.	Collector/Additional Collector	25(2)(i)

1 Omitted by Notfn. dated 13.8.2010. Before Omission which was as under:-
"2. Panchayat and Social Education Organiser 16."

2 Omitted by Notfn. dated 13.8.2010. Before Omission which was as under:-
"12. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat 24".

5.	Veterinary	Deputy Director, Veterinary Health Services	Additional Chief Executive Officer (Veterinary Health Services).
6.	Public Health Engineering	Executive Engineer	Additional Chief Executive Officer (Public Health Engineering).

Section 91:

अधिसूचना क्रमांक एफ. ५-६-बाईस पं.-२-६५, दिनांक ३-५-२००५/२६-८-२००५, म.प्र. राजपत्र, भाग १, दिनांक ६-६-२००५ के पृष्ठ १६२३ पर प्रकाशित.-मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९६३ (क्रमांक १ सन् १९६४) तथा उसके अंतर्गत शासन को प्रस्तुत पंचायत अपील/पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और उन पर निर्णय के लिए अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने संबंधी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक १८ दिसम्बर २००३ को एतद्वारा, निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश शासन के कार्य संचालन हेतु निर्मित रूल्स आफ बिजनेस के भाग पांच, बिजनेस रूल्स १३ के सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन की कंडिका २(ए) के अन्तर्गत आदेशानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९६३ के अधीन प्रस्तुत कलेक्टर/आयुक्त के पारित आदेशों के विरुद्ध अपील/ पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और उन पर निर्णयों के लिए निम्नानुसार अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९६३ की धारा ६१ सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) नियम, १९६३ में प्रावधानित ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के मामलों में नियम ३ में अपील तथा नियम ५ में पुनरीक्षण के संबंध में सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय पर द्वितीय पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है, अतः इन्हें छोड़कर, जिला पंचायत के मामलों में राज्य शासन को प्रस्तुत अपील या पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई माननीय राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाकर निर्णय पारित किए जायेंगे।

Section 93:

[No.F.1-11-95-XXII-P-2., dated, 12th January 1998, Published in M.P.Rajpatra Ext., dated 13th January 1998, p.22]-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 93(3) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994), the State Government hereby makes the following amendment in this Department Notification No.309-126-XXII-P-2-94, dated the 5th March, 1994 namely:—

	(1)	(2)	(3)
"40	(1) For Gram Panchayat	Sub-Divisional Officer (Revenue)	85(1)
	(2) For Janpad Panchayat	Collector	
	(3) For Zila Panchayat	Divisional Commissioner."	

धारा ६३

अधिसूचना क्रमांक पंचा. निर्वा-६-आरक्षण-२००६-४६४३, दिनांक ८^११२-२००६, म.प्र. राजपत्र (असाधारण), दिनांक ८-१२-२००६, पृ. १२११ पर प्रकाशित.-मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, १९६३ की धारा ६३ के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक ३०६-१२६-बाईस-पं-२-६४, दिनांक ५ मार्च १९६४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. वीणा घाणेकर, आयुक्त-सह-संचालक, पंचायत राज मध्यप्रदेश, एतद्वारा धारा ३२(२) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम १९६५ के नियम ३ के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश की ५० जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद पर वर्गवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार अवधारित करती हूँ :-

(१) अनुसूचित जातियों के लिये अध्यक्ष पदों की संख्या	०८
(२) अनुसूचित जनजातियों के लिये अध्यक्ष पदों की संख्या	१३
(३) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये अध्यक्ष पदों की संख्या	१३
(४) महिलाओं के लिये अध्यक्ष पदों की संख्या	२५

यह और भी कि विहित प्रक्रिया चक्रानुक्रम के अनुसार लॉट निकाल कर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (दो) में उल्लेखित प्रवर्गों के लिये उनके समक्ष सारणी के स्तम्भ (तीन) में अंकित जिले तथा स्तम्भ (चार) में दर्शित जिले संबंधित प्रवर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित करती हूँ-

क्रमांक	वर्ग	आरक्षित जिले	स्तम्भ (२) में अंकित वर्ग की महिलाओं के लिये स्तम्भ (३) में अंकित जिलों में से आरक्षित जिले
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	अनुसूचित जाति	१. अशोकनगर, २. हरदा, ३. मंदसौर, ४. कटनी, ५. भोपाल, ६. विदिशा, ७. शहडोल, ८. छिंदवाड़ा	१. मंदसौर, २. भोपाल, ३. विदिशा, ४. शहडोल
२.	अनुसूचित जनजाति	१. झाबुआ, २. अलीराजपुर, ३. मण्डला, ४. बड़वानी, ५. डिण्डौरी, ६. दमोह, ७. बुरहानपुर, ८. श्योपुर, ९. सिंगरौली, १०. होशंगाबाद, ११. बालाघाट, १२. छतरपुर, १३. राजगढ़	१. झाबुआ, २. अलीराजपुर, ३. दमोह, ४. श्योपुर, ५. सिंगरौली, ६. होशंगाबाद, ७. छतरपुर
३.	अन्य पिछड़े वर्ग	१. इन्दौर, २. ग्वालियर, ३. टीकमगढ़, ४. रीवा, ५. अनूपपुर, ६. नीमच, ७. रायसेन, ८. पन्ना, ९. जबलपुर, १०. सीहोर, ११. देवास, १२. दतिया, १३. उज्जैन	१. ग्वालियर, २. टीकमगढ़, ३. रीवा, ४. अनूपपुर, ५. पन्ना, ६. देवास, ७. उज्जैन
४.	अनारक्षित	१. उमरिया, २. धार, ३. भिण्ड, ४. खरगौन, ५. खण्डवा, ६. नरसिंहपुर, ७. शाजापुर, ८. सतना, ९. शिवपुरी, १०. गुना, ११. मुरैना, १२. सागर, १३. सिवनी, १४. सीधी, १५. रतलाम, १६. बैतूल	१. उमरिया, २. भिण्ड, ३. नरसिंहपुर, ४. शाजापुर, ५. सीधी, ६. रतलाम, ७. बैतूल

[No.F.1-11-95-XXII-P-2.(ii). dated, 12th January 1998, Published in M.P.Rajpatra Ext., dated 13th January 1998, p.22]-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 read with sub-section (2) of section 85 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994), the State Government hereby nominate the officer mentioned in Column (2) of the table below for the purpose of sub-section (2) of section 85 of the said Act in respect of Panchayats mentioned in corresponding entry in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S.No.	Officer	Panchayat
1.	Collector	Gram Panchayat
2.	Divisional Commissioner	Janpad Panchayat

SOME IMPORTANT NOTIFICATIONS ISSUED UNDER OTHER ACTS

Notfn. No. F. 28-82-2000-XVI-A, dated 19-7-2001, Pub. in M.P. Rajpatra (Asadharan), dated 19-7-2001, p. 864.-In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 (No. 61 of 1986), the State Government hereby appoints all Gram Sabhas constituted under Section 5-A of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) as Inspectors within their respective jurisdictions as Inspector for the purpose of Section 17 of the said Act.

Notfn. No. F. 2-3-2010-VII-6-692(A), dated 4-5-2011, Pub. in M.P. Rajpatra, Pt. I, dated 27-5-2011, p. 1781.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the M. P. Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this department's Notification No. F. 2-2-VII S-8-2001, dated the 26th January, 2001 the State Government hereby confer the following powers upon all the Gram Sabhas constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), within their respective jurisdictions, namely:—

- (1) the powers of Tahsildar under sub-section (2) of Section 128 of the said code;
- (2) the powers of Tahsildar under section 130 of the said code; and
- (3) the powers of Tahsildar under section 178 of the said Code, in respect of undisputed cases of partition of holding.

Notfn. No. F. 2-3-2010-VII-6-692(B), dated 4-5-2011, Pub. in M.P. Rajpatra, Pt. I, dated 27-5-2011, p. 1781.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the M. P. Land Revenue Code, 1959 (No. 20